झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–240 / 2018 11/22-23 प्र॰स्वी॰ राँची, दिनांक– 22.06.2022

प्रेषक:

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: **लघु सिंचाई प्रक्षेत्र राँची अंतर्गत लघु सिंचाई, प्रमंडल सिमडेगा के अधीन सिमडेगा जिले के कोलेबीरा प्रखंड अंतर्गत रामजड़ी मध्यम सिंचाई योजना के भू–अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु रू0 36,84227/– (रू0 छत्तीस लाख चौरासी हजार दो सौ सताईस) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्र राँची अंतर्गत लघु सिंचाई, प्रमंडल सिमडेगा के अधीन सिमडेगा जिले के कोलेबीरा प्रखंड अंतर्गत रामजड़ी मध्यम सिंचाई योजना के भू–अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु रू0 36,84227/– (रू0 छत्तीस लाख चौरासी हजार दो सौ सताईस) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–50, दिनांक–18.01.1983 द्वारा रू0 14.855 लाख के लिए प्रदान की गई। मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची द्वारा योजना के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति रू0 14,93,000/– मात्र की दी गई जिसमें भू–अर्जन हेतु रू0 36,000/– का प्रावधान किया गया था। योजना का निर्माण पूरा है, जिसकी रूपांकित सिंचन क्षमता 100 हेक्टेयर है तथा वर्तमान में इससे सिंचाई हो रही है।
3. योजना की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति जल संसाधन विभाग, झारखंड के पत्रांक–74/18–19 प्र0स्वी0 दिनांक–01.03.2019 द्वारा रू0 34,84,629.00 मात्र की प्रदान की गई। जिसमें भू–अर्जन हेतु रू0 22,67,892.00 का प्रावधान किया गया था।
4. योजना के निर्माण पर कुल रू0 34,84,629/– मात्र व्यय हुआ है जिसमें भू–अर्जन मद में रू0 22,67,892/– का भुगतान हुआ है।
5. सिमडेगा जिला के कोलेबीरा प्रखंड अंतर्गत निर्मित रामजड़ी मध्यम सिंचाई योजना अंतर्गत पड़ने वाले रैयती भूमि रकबा–5.85 एकड़ के मुआवजा भुगतान हेतु रैयत इसहांक डांग द्वारा माननीय उच्च न्यायाल झारखंड राँची में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विरूद्ध वाद सं0–WP (c) No.-3332/2016 दायर किया गया। जिसमें विभाग के किसी भी पदाधिकारी को प्रतिवादी नहीं बनाया गया।

6. माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राँची द्वारा दिनांक–25.04.2017 को न्याय निर्णय पारित किया गया। पारित न्याय निर्णय के अनुसार वादी अपनी शिकायत सभी आवश्यक तथ्यों एवं अभिलेखो के साथ प्रतिवादी सं0–4 जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष करेंगे तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा द्वारा नियमानुसार तार्किक आदेश 16 सप्ताह की समय सीमा के अंतर्गत पारित करने का निर्देश दिया गया।

7. न्याय निर्णय के अनुपालन में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा अपने ज्ञापांक–151 (i)/भू0अ0 दिनांक–21.06.2018 द्वारा आदेश पारित किया गया। तदनुसार 5.85 एकड़ भूमि के भू–अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु रू0 22,67,892/– मात्र का अधियाचना जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा से प्राप्त हुआ।

8. जिला भू–अर्जन मुआवजा का भुगतान नहीं होने के कारण वादी द्वारा अवमानानावाद सं0–Cont-Case (Civil) No.-117/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड राँची द्वारा दिनांक–11.01.2019 को न्याय निर्णय पारित किया गया जिसके अनुसार छः सप्ताह में भू–अर्जन मुआवजा का भुगतान किया जाना था।

9. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा द्वारा अधियाचित राशि रू0 22,67,892.00 का भुगतान कार्यपालक अभियंता, लधु सिंचाई प्रमंडल सिमडेगा द्वारा दिनांक–05.03.2019 को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिमडेगा को किया गया। पुनः जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के पत्रांक–223 (ii) दिनांक–30.07.2021 द्वारा L/A Act के Section 37 of 30/2013 के अंतर्गत कार्यवाही के उपरांत कुल रूपये 24,67,490.00 (चौबीस लाख सड़सठ हजार चार सौ नब्बे) निर्धारित करते हुए अवशेष राशि रू0 1,99,598.00 की अधियाचना की गई है (पूर्व में भुगतान की गई रू0 22,67,892.00 को घटाकर)। इस संबंध में उपायुक्त सिमडेगा द्वारा उनके पत्रांक–1070 (ii) दिनांक–10.08.2021 के माध्यम से इस योजना के भू–अर्जन से प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु शीघ्र अवशेष राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

10. वर्तमान में द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन के अंतर्गत इस योजना में राशि की वृद्धि योजना के भू–मुआवजा मद में अवशेष राशि भुगतान के कारण है। प्रस्तावित योजना में मदवार किए गए प्रावधान एवं व्यय की गई राशि की विवरणी निम्नवत् हैः–

Sl.	मद	मूल प्राक्कलन में मदवार प्रावधान	प्रथम पुनरीक्षित प्र0स्वी0 में मदवार प्रावधान	मदवार किए गए व्यय	मदवार कराये जाने वाले कार्य	द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन में किए गए प्रावधान
1	B' Land	36000.00	2267892.00	2267892.00	199598.00	2467490.00
2	Work C' Work	1195500.00	1117163.00	1117163.00	0	1117163.00
3	Under Miscellaneous Items	253760.00	99574.00	99574.00	0	99574.00
		1485260.00	3484629.00	3484629.00	199598.00	3684227.00

11. नई एवं चालू योजना निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष–2022–23 का बजट प्रावधान निम्नवत् है–
"मुख्य शीर्ष 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–39–नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य"(50-S-4702-00-796-39-00-05-45) अंतर्गत रू० 5555.00 लाख का बजट प्रावधान है।

12. योजना पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष से भारित किया जा सकेगा–
"मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–39–नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य"(50-S-4702-00-796-39-00-05-45) अंतर्गत रू० 199598.00 भारित हो सकेगा।

13. वित्तीय वर्ष–2022–23 में भू–मुआवजा का भूगतान कर दिया जायगा।

14. इस योज़ना के राशि के लिए कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

15. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य वित्त विभागीय परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।

16. झारखंड कोषागर संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

17. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

18. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

19. प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री, का अनुमोदन प्राप्त है।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22/06/22

(प्रशान्त कुमार)
सचिव

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–240/2018 11/22-23 प्र०स्वी० राँची, दिनांक– 22.06.2022
प्रतिलिपिः योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

22.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–240/2018 11/22-23 प्र०स्वी० राँची, दिनांक– 22.06.2022
प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

22.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–240 / 2018 11/22-23 प्र०स्वी० रॉंची, दिनांक– 22.06.2022

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियता, लघु सिंचाई, राँची / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

22.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–240 / 2018 11/22-23 प्र०स्वी० राँची, दिनांक– 22.06.2022

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

22.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–240 / 2018 11/22-23 प्र०स्वी० राँची, दिनांक– 22.06.2022

प्रतिलिपिः माननीय (मुख्य) मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–240 / 2018 11/22-23 प्र०स्वी० राँची, दिनांक– 22.06.2022

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / ई0 सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु प्रेषित।

22.06.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)